

राजस्थान सरकार
गृह (गुप-9) विभाग

क्रमांक: प. 33(2) गृह-9/2019पार्ट

जयपुर, दिनांक: 20.04.2021

अधिसूचना:-

यत यह राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि राज्य के समस्त जिला मजिस्ट्रेट ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोरोना संक्रमण से बचाव के मध्येनजर दिनांक 18.03.2020 और दिनांक 19.03.2020 को निषेधाज्ञा लागू की थी। पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर एवं समस्त जिला मजिस्ट्रेट को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत दिनांक 21.11.2020 को प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी करने का परामर्श दिया गया था।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 की उपधारा (4) के प्रावधानानुसार जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश जारी किये जाने की तारीख से 02 माह तक ही प्रभावी था। इस वजह से निषेधाज्ञा की अवधि इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 19 मार्च 2021 के द्वारा उक्त अवधि दिनांक 22.03.2021 से 21.04.2021 तक वृद्धि की गई थी।

अतः राज्य सरकार दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 की उपधारा (4) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य में कोरोना संक्रमण से मानव जीवन एवं स्वास्थ्य की रक्षा के मध्येनजर उक्त अवधि को दिनांक 22.04.2021 से 21.05.2021 तक वृद्धि करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

-Sd-

(देवेन्द्र कुमार)

संयुक्त शासन सचिव, गृह

प्रतिलिपि :-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
3. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
4. समस्त महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक पुलिस, रेंज, राजस्थान।
5. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, राजस्थान।
6. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त जयपुर/जोधपुर।
7. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान, जयपुर को उक्त अधिसूचना राजपत्र में ऑनलाईन प्रकाशित किये जाने हेतु। (साफ्ट कॉपी)
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव, गृह